

विद्यालय निर्माण
 720 राज्य सरकार नगरीय संविधान
 -13/73-021/9211/10/150/150/150-
 1988 में श्री. बी. एल. सिंह द्वारा विद्यालयों की निजी विपणन की संवर्धन के लिए
 निम्नलिखित बातों पर निर्धारित की गई थी :-
 1. विद्यालयों में निजी स्वामित्व का प्रसारण न हो।
 2. विद्यालयों में निजी स्वामित्व का प्रसारण न हो।
 3. विद्यालयों में निजी स्वामित्व का प्रसारण न हो।
 4. विद्यालयों में निजी स्वामित्व का प्रसारण न हो।

कक्षा का कमरा	आकार फीट- 25x20-10 कमरा
विद्यालय भवन	" " - 60x60 - 1
गैलरी	" " - 25x25 - 1
विद्यालय भवन	" " - 25x25 - 1
विद्यालय भवन	" " - 25x25 - 1

- 166. विद्यालयों के लिए जो का भूदान उपलब्ध हो।
- 177. विद्यालय भवन अपनी जमीन पर या 10 साल से उपर की लीज पर हो।
- 188. विद्यालय कितो नगर, जिला मुख्यालय अथवा कितो औद्योगिक प्रोड में स्थित हो।
- 191. विद्यालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रोपार्जन का विचार हो।

2. उपर्युक्त शर्तों में तमोपन की आवश्यकता का अनुभव कर राज्य सरकार विद्यालय परान्त निम्नलिखित शर्तों और बंधनों के अधीन अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है :-
 1. विद्यालयों का निर्माण या स्थापना द्वारा सुचित हो और
 2. विद्यालयों के उद्देश्य से स्थापित न हो।

192. विद्यालय को करीब 2 एकड़ भूमि होने चाहिए जिसे पर अपना भूदा
 निर्मित हो। यदि भूदान नहीं है तो कम से कम तीस
 वर्ष के निर्धारित लीज पर हो। विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/उपवर्ग में 40-50
 छात्रों के बैठने के लिए सभी कक्षा, सभागार, प्राचार्य कक्ष की व्यवस्था
 होनी चाहिए।

[Signature]
Principal
 Bal Mandir Sr. Sec. School
 Kishanganj
 Atf No -330009

[Signature]
Bal Mandir Sr. Sec. School
 Director

क्र.सं.	विवरण	आकार	संख्या
1	सिगरेट	25पीटx25पीट	10
2	सिगरेट	10पीटx10पीट	1
3	सिगरेट	25पीट/25पीट	1
4	सिगरेट	25 पीटx25 पीट	1
5	सिगरेट	25 पीटx25 पीट	1

36 विद्यालय में शिक्षक/निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका का प्रभुत्व होंगे। इसके प्रमाण त्वस्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।

37 विद्यालय में शिक्षक एवं निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका को पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताएँ होना अनिवार्य है। इनके नियुक्ति विचारण से पूर्व ही यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वे शिक्षक/अधीक्षक/अधीक्षिका के रूप में कार्य कर सकेंगे।

38 विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका को तमक व वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान किया जाएगा जो राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका के लिए विहित है।

39 विद्यालय में शिक्षक/निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका को पढ़ाई कराते हों।

40 छात्र/छात्राओं के लिए खेल का मैदान उपलब्ध हो।

41 विद्यालय को उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर विद्यार्थियों के वर्गीकृत प्रतिस्पर्धक राष्ट्रीयता का विकास हो।

3- असापत्ति प्रमाण-पत्र जो वापस लेने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में निर्गत असापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने अथवा निरस्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है 1-

1- विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका को राज्य सरकार के विद्यालय के अर्थियों के तमक व वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जाता हो अथवा भुगतान करने में अथवा विचार किया जा रहा हो।

2- विद्यालय में शिक्षक/निदेशक/अधीक्षक/अधीक्षिका की जा रही हो अथवा

[Signature]
Principal

Bal Mandir Sr. Sec. School
Kishanganj
Atf No.-330009

[Signature]

Bal Mandir Sr. Sec. School

Director

